Ruling regarding raising point of order during zero hour

श्री मनीश तिवारी: मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । आप एक मिनट सुन तो लीजिए । यह बहुत जरूरी है । ?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस पर डिबेट हो जाए । मैंने जो नियम पढ़े हैं उसके तहत शून्य काल में प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भर्तृहरि महताब जी, आप बताएं, आपका इस मामले में क्या सुझाव है? इसके बाद सौगत राय जी से पूछेंगे ।

? (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, respected hon. Member, Shri Manish Tewari Ji is very much aware that there is no point of order during `Zero Hour? when matters of urgent public importance are being raised. ? (*Interruptions*) But the matter may be important which can be considered by the Chair provided it is brought to your notice at an early date.

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी**,** आपका व्यवस्था के विषय पर क्या कहना है?

? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक ही बात कहनी है । जब हम वैस्ट बंगाल असैम्बली में थे, वहां व्यवस्था थी कि जो एडजर्नमेंट मोशन देता है, उनका नाम बुलाकर एडजर्नमेंट मोशन पढ़ने दिया जाता है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा सवाल है कि क्या प्वाइंट आफ आर्डर शून्य काल में अलाऊ करते हैं?

? (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, the Adjournment Motion notice is given under Rule 56. Now, you do not allow it. If you allow, you ask the Member to stand up.

माननीय अध्यक्ष: मैंने जो सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दें ।

? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: महोदय, आप मेरी बात सुनिए । At least, you announce the name of the Member who has given the Adjournment Motion. Let him read the substance of the Adjournment Motion. If you do not allow, then he will sit down.

आप कहते हैं कि मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है, मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है । वह कष्ट करके सुबह भेजता है, आप मौका दीजिए ताकि वह स्थगन प्रस्ताव पढ़े और फिर आप उसको डिसमिस कर दीजिए । ? (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी: मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर एडजर्नमेंट मोशन पर नहीं है, जीरो ऑवर पर भी नहीं है । क्वैश्चर ऑवर में कुछ हुआ था, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर उसके बारे में है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप लिखकर दीजिए, मैं इसे देखता हूं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बताएं कि शून्य काल में क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर दे सकते हैं? एक लाइन में बताएं ।

? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: महोदय, आप किताब देखें । किताब में कहीं भी शून्य काल मेंशन नहीं है । आप अपनी कृपा से शून्य काल की व्यवस्था देते हैं । मैं कहता हूं जब हाउस चलता है, कोई भी समय हो, कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है । यह क्यों नहीं चलेगा, कभी भी चल सकता है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है । आपने कहा कि यह पश्चिम बंगाल की व्यवस्था है । मैं इतनी जानकारी दे दूं कि मैं स्पीकर्स कांफ्रेंस का चेयरपर्सन भी हूं । हर विधान सभा की अपनी नियम और प्रक्रिया होती है, उसमें स्वायत्तता होती है । लोकसभा के अपने नियम और प्रक्रियाएं हैं । लोकसभा की नियम और प्रक्रिया कई परंपराओं से चलती है ।

शून्यकाल की यह परम्परा है । आपने कहा, उसकी व्यवस्था दे देंगे ।